FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

भौमाराम व अन्य बनाम रामावतार व अन्य

किस्म मुकदमाः—अपील धारा 75 अन्तर्गत भू—राजस्व अधिनियम 1956 जीसीएमएरा संख्या 2024 / 179

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2023 के विरूद्ध अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय में पूर्व में ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2023 के विरूद्ध अपील संख्या 2023 / 24 उनवानी रामावतार बनाम भोमाराम व अन्य जिसमें अपीलार्थी भी स्वयं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के रूप मे पक्षकार था तथा रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अभिभाषक उपस्थित थे। उक्त अपील मे उभयपक्षों को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णय दिनांक 28.05.2024 को पारित किया जा चुका है। जिसकी जानकारी उभयपक्षों को समुचित रूप से हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2023 के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष अपील संख्या 2023 / 24 उनवानी रामावतार बनाम भोमाराम व अन्य के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। अतः प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। (डॉ. आरूषी मलिक) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	